प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
पर्यटन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 11 मार्च, 2016

विषय- पर्यटन विभाग के अधीन पर्यटन सूचना अधिकारी की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन विभाग के अधीन पर्यटन सूचना अधिकारी की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 का कार्यवृत संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अवगत होना चाहें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-18/2016/वे0आ0-2-154(1)/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुख्य सचिव समिति की दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न उपर्युक्त बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :—

(i) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग — सदस्य
(ii) श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग — सदस्य
(iii) श्री अमृत अभिजात सचिव, पर्यटन विभाग — सदस्य
(iv) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग —सदस्य सचिव

2— मुख्य सचिव समिति की बैठक हेतु निर्धारित एजेन्डा के अनुसार पर्यटन विभाग के अधीन पर्यटन सूचना अधिकारी की वेतन विसंगति को दूर किये जाने एवं प्रदेश के अन्य संवर्गो की भॉति केन्द्र सरकार के समकक्षीय संवर्ग के समान वेतन स्वीकृति किये जाने से सम्बन्धित विषय को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

3— उक्त के सम्बन्ध में बैठक में मुख्य सचिव समिति को निम्नवत अवगत कराया गया :—

(1) वेतन समिति (2008) द्वारा पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों से प्रमुख सचिव पर्यटन को शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1116/दस–54 (एम)/2008टी0सी0, दिनांक 05 अगस्त,2011 द्वारा संसूचित किया गया। उक्त निर्णय के कार्यान्वयन में प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 निर्गत किया गया। तत्पश्चात् कतिपय पर्यटन सूचना अधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव को सम्बोधित प्रत्यावेदन दिनांक 20 जुलाई, 2015 में भारत सरकार पर्यटन विभाग के पर्यटन सूचना अधिकारी के समकक्ष संवर्गीय पुनर्गठन एवं वेतनमान स्वीकृत किये जाने की मॉग की गयी। उक्त पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2015 पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रकरण को मुख्य सचिव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।तत्क्रम में पर्यटन अनुभाग की पत्रावली संख्या–251/2005 के द्वारा पर्यटन

सूचना अधिकारी की विसंगति के निराकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव किया गया। तदोपरान्त वित्त विभाग में विचारोपरान्त अर्धशासकीय पत्र संख्या–वे0आ0–2–1137/ दस–2015 के द्वारा प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित किया गया है।

(2) वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–3) द्वारा पर्यटन विभाग के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियॉ दी गयी :—

(i) सहायक स्वागती वेतनमान रु0 3050–4590(सादृश्य वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 1900/–) के पदों को स्वागती वेतनमान रु0 4000–6000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2400/–) के पदों के साथ संविलीन किया जाय। स्वागती का पदनाम " पर्यटन सूचना अधिकारी " रखा जाय।

(ii) स्वागती (परिवर्तित पदनाम पर्यटन सूचना अधिकारी) के पद पर शत प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाय। सीधी भर्ती हेतु अनिवार्य अर्हता इतिहास विषय के साथ स्नातक उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने, लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता तथा अधिमानी अर्हता प्राचीन/मध्य कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित की जाय।

(iii) सहायक पर्यटन अधिकारी वेतनमान रु0 4500–7000(सादृश्य वेतन बैण्ड–1 रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/–) के पदों को पर्यटन अधिकारी वेतनमान रु0 5000–8000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–) के पदों के साथ संविलीन किया जाय।

(iv) पर्यटन अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पदों पर पॉच वर्ष की सेवा वाले स्वागती(परिवर्तित पदनाम पर्यटन सूचना अधिकारी) में से पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय। सीधी भर्ती

हेतु अनिवार्य अर्हता पर्यटन विषय के साथ स्नातक अथवा पर्यटन में स्नातक के समकक्ष उपाधि अथवा पर्यटन में स्नातकोत्तर उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने, लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता तथा अधिनामी अर्हता के रुप में किसी एक विदेशी भाषा में मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय या दूतावासों से कम से कम 06 माह की अवधि का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र निर्धारित किया जाय।

(3) वेतन समिति (2008) की पयर्टन विभाग से सम्बन्धित उपरोक्त संस्तुतियों पर विचारोपरान्त उपर्युक्त उप प्रस्तर–3(**iii**) तथा उप प्रस्तर–3(**iv**) की संस्तुतियों को स्वीकार नहीं किया गया और सहायक पर्यटन अधिकारी तथा पर्यटन अधिकारी के पदों को यथावत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही सहायक पर्यटन अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती द्वारा तथा सीधी भर्ती हेतु अनिवार्य अर्हता इतिहास विषय के साथ स्नातक उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने व लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता तथा अधिमानी अर्हता प्राचीन/ मध्यकालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित करने तथा उक्त के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु अनिवार्य अर्हता पर्यटन विषय के साथ स्नातक अथवा पर्यटन में स्नातक के समकक्ष उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने, लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता तथा अधिमानी अर्हता के रुप में पर्यटन में स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

(4) उपरोक्त निर्णय के कम में पर्यटन सूचना अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में किये गये प्रस्ताव निम्नवत् है :—

(**i**) उ0प्र0 पर्यटन विभाग के पर्यटन सूचना अधिकारी संवर्ग को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत पर्यटन सूचना अधिकारी पदधारकों के समतुल्य वेतनमान रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य किया जाना।

(ii) "सहायक पर्यटन अधिकारी" संवर्ग का "पर्यटन अधिकारी" संवर्ग में संविलियन करते हुए ग्रेड वेतन रू0 4800/—अनुमन्य कराने के साथ—साथ पर्यटन अधिकारी संवर्ग के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत पद पर्यटन सूचना अधिकारी के पदधारकों से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना।

(iii) उ0प्र0 पर्यटन विभाग एवं भारत सरकार के पर्यटन विभाग में उपलब्ध पर्यटन सूचना अधिकारी संवर्ग की पद संरचना(पदनाम, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, भर्ती की प्रकिया एवं अर्हता) तथा कार्यदायित्व का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :—

क0 सं0	भारत सरकार पर्यटन विभाग			उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग		
	पदनाम/ वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	भर्ती का स्रोत/ अर्हता	कार्य दायित्व	पदनाम/ वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	भर्ती का स्रोत/ अर्हता	कार्य दायित्व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	पर्यटन सूचना अधिकारी (वेतन बैण्ड—2, रू0 9300—34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/—)	स्नातक/ कम्प्यूटर ज्ञान/ पर्यटन डिप्लोमा। अधिमानी अर्हता के रुप में द्विभाषीय भाषा का ज्ञान।	देशी/ विदेशी पर्यटन ों को मार्गदर्शन देना/ सूचना केन्द्र का संचालन करना।	पर्यटन सूचना अधिकारी (वेतन बैण्ड—1, रू0 5200—20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/—)	इतिहास विषय के साथ स्नातक/ हिन्दी व अंग्रेजी भाषा का ज्ञान एवं वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता। अधिमानी अर्हता— प्राचीन/ मध्य कालीन इतिहास में	देशी/ विदेशी पर्यटन ों को मार्गदर्शन देना। प्रोटोकाल/ वी0आई0पी0 ड्यूटी जिला/ राज्य/ केन्द्रीय योजना की बैठकों में सहभागिता। होटलों से राजस्व वसूली। मेले/

					स्नातकोत्तर उपाधि।	लोहारों में आयोजन।

(iv) उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं भारत सरकार के पर्यटन विभाग में विद्यमान पर्यटन सूचना अधिकारी संवर्ग के पदधारकों की परस्पर पद रांरचना, शैक्षिक अर्हता, कार्यदायित्व, भर्ती की प्रकिया से सम्बन्धित उपर्युक्त तुलनात्मक विवरण से यह विदित होता है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग में सृजित पर्यटन सूचना अधिकारी का ग्रेड वेतन रू0 2400/– है, जो भारत सरकार के पर्यटन सूचना अधिकारी ग्रेड वेतन रू0 4200/–की तुलना में बहुत ही कम है। अतः पर्यटन सूचना अधिकारी का ग्रेड वेतन भारत सरकार के पर्यटन सूचना अधिकारी के समान किये जाने का प्रस्ताव है। भारत सरकार के समान ग्रेड वेतन रू0 4200/– करने पर राज्य सरकार पर जो आंशिक व्ययभार आयेगा वह प्रदेश में पर्यटन ों की संख्या एवं होटलों से सुख साधन कर के रूप में प्राप्त राजस्व की उत्तरोत्तर वृद्धि के अनुपात में नगण्य रहेगा।

(v) उ0प्र0 अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली में पर्यटन सूचना अधिकारी संवर्ग में संयुक्त निदेशक पर्यटन तथा उप निदेशक पर्यटन के उच्चतर पदों पर शत प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था है। लेकिन पर्यटन सूचना अधिकारी से उच्चतर सहायक पर्यटन अधिकारी/पर्यटन अधिकारी एवं क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी के पद सीमित संख्या में सृजित होने एवं सभी स्तर पर उनके 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के अन्तर्गत भरे जाने की व्यवस्था के कारण निम्नतर पद के पदधारकों के पदोन्नति के अवसर नगण्य है। सहायक पर्यटन अधिकारी/पर्यटन अधिकारी संवर्ग के कार्यदायित्व समान होने के साथ–साथ उनकी भर्ती प्रकिया एवं शैक्षिक योग्यता भी एक समान है, लेकिन वेतनमान में भिन्नता होने से सहायक पर्यटन अधिकारी संवर्ग के पदधारकों में शासकीय कार्यों के त्वरित निस्तारण के प्रति उनकी पूर्णनिष्ठा/लगन पर प्रभाव परिलक्षित होना

स्वभाविक है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सहायक पर्यटन अधिकारी संवर्ग को पर्यटन अधिकारी संवर्ग में संविलीन किये जाने तथा पर्यटन अधिकारी पदों को 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले पर्यटन सूचना अधिकारी के पदधारकों से ज्येष्ठता के आधार पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने के साथ–साथ पर्यटन अधिकारी पद के वर्तमान ग्रेड वेतन रू0 4200/– को उच्चीकृत कर ग्रेड वेतन रू0 4800/– किये जाने का प्रस्ताव है।

(5) उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :–

(i) उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के पर्यटन सूचना अधिकारी संवर्ग के लिये निर्धारित पूर्व व्यवस्था, वेतन समिति (2008) द्वारा संस्तुत व्यवस्था, उक्त संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार लागू वर्तमान व्यवस्था तथा प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार पदनाम एवं ग्रेड वेतन का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :–

क0 सं0	पूर्व व्यवस्था पदनाम, वेतनमान (सादृश्य ग्रेड वेतन)	वेतन समिति की संस्तुति के अनुसार	निर्णय के वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1–	उप निदेशक पर्यटन, रू010000–15200(रू0 6600/–)	उप निदेशक (रू0 6600/–)	उप निदेशक तथा सहायक निदेशक को **संविलीन कर** उप निदेशक पदनाम से **ग्रेड वेतन रू0 6600/–**	**स्तम्भ–4 के अनुसार**
2–	सहायक निदेशक पर्यटन, रू0 8550 14600(रू0 5400/–)	सहायक निदेशक तथा क्षेत्रीयपर्यटन अधिकारी/प्रचार अधिकारी को **संविलीन कर** सहायक निदेशक एवं क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/प्रचार	– तदैव–	

		अधिकारी पदनाम से ग्रेंड वेतन रु0 5400/—		
3—	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/प्रचार अधिकारी, रु0 8000—13500(रु0 5400/—)	—तदैव—	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/प्रचार अधिकारी, ग्रेड वेतन रु0 5400/—	स्तम्भ—4 के अनुसार
4—	पर्यटन अधिकारी, रु0 5000—8000(रु0 4200/—)	पर्यटन अधिकारी एवं सहायक पर्यटन अधिकारी को संविलीन कर पर्यटन अधिकारी पदनाम से ग्रेड वेतन रु0 4200/—	पर्यटन अधिकारी, ग्रेड वेतन रु0 4200/—	पर्यटन अधिकारी ग्रेड वेतन रु0 4800/—
5—	सहायक पर्यटन अधिकारी, रु0 4500—7000(रु0 2800/—)	—तदैव—	सहायक पर्यटन अधिकारी, ग्रेड वेतन रु0 2800/—	
6—	स्वागती, रु0 4000—6000(रु0 2400/—)	पर्यटन सूचना अधिकारी (रु0 2400/—)	पर्यटन सूचना अधिकारी, ग्रेड वेतन रु0 2400/—	पर्यटन सूचना अधिकारी ग्रेड वेतन रु0 4200/—
7—	सहायक स्वागती, रु0 3050—4590(रु0 1900/—)			

(ii) वर्तमान में पर्यटन विभाग के पर्यटन सूचना अधिकारी संवर्ग के पदों पर निर्धारित भर्ती के स्रोत/अर्हता का विवरण

क0 सं0	ग्रेड वेतन पदनाम (पद संख्या)	भर्ती का स्रोत तथा अर्हता
(1)	(2)	(4)
1—	ग्रेड वेतन रु0 7600/— संयुक्त निदेशक पर्यटन (03)	दो वर्ष की सेवा वाले उप निदेशक पर्यटन से पदोन्नति द्वारा।
2—	ग्रेड वेतन रु0 6600/— उप निदेशक पर्यटन	तीन वर्ष की सेवा वाले क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/प्रचार अधिकारी से शत

	(07)	प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।
3–	ग्रेड वेतन रु0 5400/– क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/ प्रचार अधिकारी (11)	(क) 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **अनिवार्य अर्हता**– पर्यटन विषय के साथ स्नातक अथवा पर्यटन में स्नातक के समकक्ष उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने, लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता। **अधिनामी अर्हता**– पर्यटन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी एक विदेशी भाषा में मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय या दूतावासों से कम से कम 06 माह की अवधि का डिप्लोमा/ प्रमाण–पत्र। (ख) 50 प्रतिशत–पॉच वर्ष की सेवा वाले पर्यटन अधिकारियों में से पदोन्नति। उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
4–	ग्रेड वेतन रु0 4200/– पर्यटन अधिकारी (17)	(क) 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **अनिवार्य अर्हता**– पर्यटन विषय के साथ स्नातक अथवा पर्यटन में स्नातक के समकक्ष उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने, लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता। **अधिनामी अर्हता**–पर्यटन में स्नातकोत्तर उपाधि। (ख) 50 प्रतिशत–पॉच वर्ष की सेवा वाले सहायक पर्यटन अधिकारियों में से पदोन्नति।
5–	ग्रेड वेतन रु0 2800/– सहायक पर्यटन अधिकारी (13)	(क) 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **अनिवार्य अर्हता**–इतिहास विषय के साथ स्नातक उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने लिखने व वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता। **अधिमानी अर्हता**–प्राचीन/मध्य कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि। (क) 50 प्रतिशत पॉच वर्ष की सेवा वाले पर्यटन सूचना अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा।
6–	ग्रेड वेतन रु0 2400/– पर्यटन सूचना अधिकारी (50)	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा इतिहास विषय के साथ स्नातक उपाधि एवं हिन्दी व अंग्रेजी पढ़ने लिखने व

		वार्तालाप करने की पूर्ण क्षमता। **अधिमानी अर्हता**– प्राचीन/मध्यकालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि।

(iii) उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सहायक स्वागती (ग्रेड वेतन रु0 1900/–) के पद को स्वागती (ग्रेड वेतन रु0 2400/–) में संविलीन किया गया। इस प्रकार ग्रेड वेतन रु0 1900/– के पद पर ग्रेड वेतन रु0 2400/– अनुमन्य हो गया है।

(iv) निर्धारित सेवा शर्ते के अनुसार संवर्ग के निम्नतम प्रथम स्तर, दूसरे स्तर, तीसरे स्तर तथा चौथे स्तर के पदों पर 50 प्रतिशत पदोन्नति तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था है। साथ ही सीधी भर्ती हेतु लगभग एक समान अर्हता निर्धारित है। इस प्रकार क्रमित तीनो स्तरो पर लगभग समान अर्हता के साथ सीधी भर्ती की व्यवस्था है। इस प्रकार सेवा शर्तो में परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें वृहद पुनर्गठन निहित है। इस हेतु सभी दृष्टिकोण से परीक्षण किया जाना होगा।

(v) केन्द्रीय पर्यटन विभाग से समकक्षता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि प्रदेश के पर्यटन विभाग के सम्बन्धित पदों पर वर्तमान में केन्द्रीय समकक्षता निर्धारित नहीं है।

केन्द्रीय समकक्षता निर्धारित किये जाने हेतु केन्द्र में उपलब्ध पद/संवर्ग तथा प्रदेश में उपलब्ध पदों पर निर्धारित अर्हता, भर्ती की प्रकिया, कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा कार्यक्षेत्र से तुलना की आवश्यकता है। अतः इस सम्बन्ध में केन्द्रीय पर्यटन विभाग में उक्त संवर्ग के पदों पर अर्हता, भर्ती की प्रकिया, कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित विवरण तथ्यात्मक प्रपत्रों सहित उपलब्ध होने पर सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण करते हुऐ निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

(iv) वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। सातॅवें केन्द्रीय वेतन आयोग की

संस्तुतियॉं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होने की सम्भावना है। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त आयोग के संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने कार्मिकों के वेतनमान, भत्तें एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में यथा आवश्यकता विचार किया जायेगा।

(v) उक्त परिदृश्य में प्रदेश में पर्यटन विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध पर्यटन सूचना अधिकारी संवर्ग सेवा शतों में संशोधन अथवा उक्त संवर्ग के पदों का ढॉचा (ढॉचे के स्तर, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, अर्हता एवं भर्ती की प्रकिया) केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण प्रदेश में गठित की जाने वाली अगली वेतन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

समिति द्वारा की गयी संवीक्षा

— उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श के आधार पर समिति द्वारा की गयी संवीक्षा निम्नवत् है :—

(1) केन्द्र में उपलब्ध पद/संवर्ग तथा प्रदेश में उपलब्ध पदों पर निर्धारित अर्हता, भर्ती की प्रकिया, कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा कार्यक्षेत्र से तुलना के आधार पर केन्द्रीय समकक्षता निर्धारित की जाती है। अतः प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में केन्द्रीय पर्यटन विभाग में उक्त संवर्ग के पदों पर अर्हता, भर्ती की प्रकिया, कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित विवरण तथ्यात्मक प्रपत्रों सहित उपलब्ध होने पर सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण करते हुऐ निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा।

(2) केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। सातॅवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियॉं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होने की सम्भावना है। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त आयोग के संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने कार्मिकों के वेतनमान, भत्तें एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में

यथा आवश्यकता विचार किया जायेगा।

(3) उक्त परिदृश्य में प्रदेश में पर्यटन विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध पर्यटन सूचना अधिकारी संवर्ग की सेवा शर्तो में संशोधन अथवा उक्त संवर्ग के पदों का ढॉचा (ढॉचे के स्तर, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, अर्हता, भर्ती की प्रकिया) केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण प्रदेश में गठित की जाने वाली अगली वेतन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।

समिति की संस्तुतियॉ

5— उक्त परिदृश्य में सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियॉ निम्नवत् है :—

(1) वर्तमान में प्रदेश के पर्यटन विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध पर्यटन सूचना अधिकारी संवर्ग की केन्द्र से समकक्षता निर्धारित है। केन्द्रीय समकक्षता, केन्द्र में उपलब्ध पद/संवर्ग तथा प्रदेश में उपलब्ध पदों पर निर्धारित अर्हता, भर्ती की प्रकिया, कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा कार्यक्षेत्र से तुलना के आधार पर निर्धारित की जाती है। अतः इस सम्बन्ध में केन्द्रीय पर्यटन विभाग में उक्त संवर्ग के पदों की अर्हता, भर्ती की प्रकिया, कार्य एवं उत्तरदायित्व तथा कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित विवरण तथ्यात्मक प्रपत्रों सहित उपलब्ध होने पर सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण करते हुऐ निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा।

(2) केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। सातॅवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियॉ दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होने की सम्भावना है। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त आयोग के संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने कार्मिकों के वेतनमान, भत्तें एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में यथा आवश्यकता विचार किया जायेगा।

(3) उक्त परिदृश्य में प्रदेश में पर्यटन विभाग के अन्तर्गत

उपलब्ध पर्यटन सूचना अधिकारी संवर्ग की सेवा शर्तो में संशोधन अथवा उक्त संवर्ग के पदों का ढॉचा (ढॉचे के स्तर, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, अर्हता, भर्ती की प्रकिया) केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर निर्धारित किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण प्रदेश में गठित की जाने वाली अगली वेतन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(राहुल भटनागर)
सदस्य।

(राजीव कुमार)
सदस्य।

(अमृत अभिजात)
सदस्य।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य–सचिव।

(आलोक रंजन)
अध्यक्ष।

दिनांकः 17 दिसम्बर, 2015 ।